



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112025-267986
CG-DL-E-27112025-267986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5239]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947

No. 5239]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRAHAYANA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5417(अ).—4023 केन्द्रीय सरकारने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.4023(अ) तारीख 02 सितंबर 2025, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 40.00 कि.मी. से 144.400 कि.मी. (पुणे सोलापूर सेक्शन) तक के भूखण्ड का बाईपास सहित निर्माण (चौड़ा करने चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 09 सितंबर 2025 को "इंडियन एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) और "लोकमत" (मराठी) में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारीने उनपर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियोंका प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा(2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहीत हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH65 के कि.मी. 40 से कि.मी.144.4 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: इंदापूर					
गांव का नाम: बंडगरवाडी					
1	25	निजी (रुरल)	एग्रीकल्चर	0.18	विष्णू दौलता बंदगर, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक खडकवासला कैनलप्यून, प्रकल्प संचालक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुणे, श्री शंकर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मरया मालेगांव, श्री हनुमान वी के एंस् पोढावाडी
Total				0.18	

[फा. सं. NHA/BOT-I/11013/20/2007/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5417(E).—4023 Whereas by the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 4023 Dated 02/09/2025, Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii) and issued under sub-

section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.65, including the bypass, on the stretch of land from Km 40.00 to Km 144.400 (Pune-Solapur Section) in District Pune in the State of Maharashtra

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” (English) and in “Lokmat” (Marathi), both dated the 9th September, 2025, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objection have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declared that, the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH65 in the stretch of land from Km. 40 to Km. 144.4 in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Indapur					
Village: Bandagarwadi					
1	25	Private (rural)	agriculture	0.18	Vishnu Daulata Bandgar, Karyakari abhiyanta sarvjanik Khadakwasla CanalPune, prakalp sanchalak bharti rashtriya rajmarg pradhikaran Pune , Shri Shankar gramin bigarsheti sahakari patsanstha Marya Malegaon, Shri Hanuman V K S podhawadi
Total				0.18	

[F. No. NHA/BOT-I/11013/20/2007/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director